निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टरएवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़

केम्प पारड़ी

प्र.सं 55/2016 रे.वाद　　　　　　　　　　निर्णय दिनांक 15.05.2018

अनवान

1. श्रीमति सायरी पुत्री कजोडजी़ गुर्जर नि. पारड़ी
2. श्रीमति कमला पुत्री कजोडजी़ गुर्जर नि. पारड़ी
3. श्रीमति मांगी पुत्री कजोडजी़ गुर्जर नि. पारड़ी त.देवगढ़ जि. राजसमंद

.........वादीगण

बनाम

1. रायमल पिता नाथु गुर्जर नि. पारड़ी
2. पन्ना पिता भुरा गुर्जर नि. पारड़ी
3. हजारी पिता लाला गुर्जर नि. पारड़ी
4. रत्ता पिता लाला गुर्जर नि. पारड़ी
5. जेती पिता घासी गुर्जर नि. पारड़ी
6. लादु पिता लच्छु गुर्जर नि. पारड़ी
7. घीसा पिता बादु गुर्जर नि. पारड़ी
8. मांगीया पिता भूरा गुर्जर नि. पारड़ी
9. मेथु पत्नी छगु गुर्जर नि. पारड़ी

.........प्रतिवादीगण

रे.वाद अर्न्तगत धारा 88—188 राज. ले. रे. एक्ट

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम डांगड़ी प.ह. पारड़ी तह. देवगढ़ में स्थित हैं जिसके खा.नं. 46 के आराजी सं. 315 रकबा 1.16, आराजी सं. 344 रकबा 2.06, आराजी सं. 354 रकबा 4.05, आराजी सं. 359 रकबा 0.02, आराजी सं. 360 रकबा 15.19 कुल किता 5 रकबा 24.08 बीघा भूमि हैं।

उक्त वर्णित आराजियात मौरूसी बाप दादाओं की होकर खातेदार मृतक नाथु के नाम दर्ज हो गई। मृत्यु के बाद नामान्तरकण के द्वारा यह भूमि विरासत के आधार पर प.ह. द्वारा नाथु के पुत्र प्रतिवादी सं.1 रायमल के नाम खेला गया जिसमें वादीगण कजोडजी़ की जायन्दा संतान का नाम नहीं दर्शाया गया और गलत नामान्तरण खोल दिया जबकि प.ह. को कजोडजी़ के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण होना चाहिए। वादग्रस्त कृषि आराजियात में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज हैं उसमें वादीगण 1/2 हिस्से के वैधानिक हकदार हैं। प्रतिवादी सं.1 ने अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 15.07.2016 को विक्रय कर दी है एवं अब वादीगण के हिस्से की भूमि जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम गलती से दर्ज है उसे कजोडजी़ के

सहायक कलेक्टर

वारिसान वादीगण के 1/10 हिस्से पर काबिज काश्त हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने से यह खातेदारी घोषणा का दावा पेश किया गया हैं।

उक्त वर्णित भूमि में कजोडजी के वारिसान वादीगण को 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार आपसी राजीनामा प्रपत्र वादीगण सायरी, मांगी व कमला पुत्री कजोडजीजी के आधार पर खातेदारी घोषणा किया जानी हैं। तथा कजोडजी के हिस्से की सीमा तक प्रतिवादी सं.1 के नाम का हो रखा अंकन विलोपित कराया जावें हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प पारड़ी में नियत कर पुनः पक्षकारन को सूचना पत्र जारी किये गये। केम्प में वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित हुऐ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथा आपसी राजीनाम प्रपत्र पेश किया गया। कैम्प कोर्ट में पत्रावली पर वादीगण के वादपत्र नकल जमाबंदी एवं पत्रावली में सलग्न अन्य दस्तावेज व प्रतिवादीगण के जवाब तथा राजीनामे का अवलोकन किया। कैम्प कोर्ट में पत्रावली के गुणाव गुण पर विचार करते हुए वादी का वाद स्वीकार किया गया।

अतः वादीगण का वाद जो ग्राम डांगड़ी प.ह. पारड़ी तह. देवगढ़ में स्थित हैं जिसके खा.नं. 46 के आराजी सं. 315 रकबा 1.16, आराजी सं. 344 रकबा 2.06, आराजी सं. 354 रकबा 4.05, आराजी सं. 359 रकबा 0.02, आराजी सं. 360 रकबा 15.19 कुल किता 5 रकबा 24.08 बीघा भूमि हैं। जिसमें वादीगण सं. 1. सायरी पुत्री कजोड़जी, 2. कमला पुत्री कजोड़जी व 3. मांगी पुत्री कजोड़ी का 1/10 हिस्सा संयुक्त रूप से नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये जाने की खातेदारी घोषणा प्रदान की जाती हैं व इसी आशय की डिक्री प्रदान की जाती हैं। पालना हेतु तहसीलार देवगढ़ को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प पारड़ी में फैसल सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद